



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20,000 के अर्थ दंड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत अ0सं0 759/2015, धारा- 376डी,342 भा0द0सं0 व 6 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र विशुकरन निवासी ग्राम ढीहा डेरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC श्री रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक वरिष्ठ उ0नि0 श्री मो0 अली



पैरोकार मौदहा का0 शुभम यादव